संख्या– 786 / नौ–9–21–89ज / 2001

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 14 जून, 2021

विषय–प्रदेश में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0), वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (डब्लू0टी0पी0), संबंधी परियोजना के संचालन एवं रख–रखाव तथा नागर निकायों में निराश्रित श्वानों की जनसंख्या में रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से राज्य स्तरीय निधि का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–8 / 1323 / 317पंचम रा0 वि0 आ0 / 2020–21, दिनांक–20.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पंचम राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि को प्रदेश के समस्त नागर निकायों के मध्य आवंटित किये जाने एवं निदेशालय स्तर पर रोके जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–892 / नौ–9–21–89ज / 2001, दिनांक–22.05.2020 एवं शासनादेश संख्या–2748 / नौ–9–21–89ज / 2001, दिनांक–30.12.2020 को अवक्रमित करते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0), वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (डब्लू0टी0पी0), संबंधी परियोजनाओं के संचालन एवं नागर निकायों में निराश्रित श्वानों की जनसंख्या के रोकथाम तथा विद्युत देयको के भुगतान हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी जाने वाली पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि में से कटौती करते हुये निम्नलिखित विवरण के अनुसार राज्य स्तरीय निधि बनाये जाने का निर्णय लिया गया है:–

तालिका–1

(धनराशि करोड़ रूपयें में)

क्रम0	**योजना**	**प्रस्तावित राज्य स्तरीय निधि की धनराशि**
1	एस0टी0पी0 का संचालन एवं रख रखाव	350.00
2	डब्लू0टी0पी0 का संचालन एवं रख रखाव	100.00
3	निराश्रित श्वानों के बन्ध्याकरण हेतु ***"एनिमल बर्थ कण्ट्रोल योजना"***	10.00
	योग	**460.00**

(रू0 चार सौ साठ करोड़ मात्र)

3. उक्त के अतिरिक्त विद्युत मार्ग प्रकाश एवं जल कल, विद्युत (जल संस्थान) तथा अन्य मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कटौती का भी निर्णय लिया गया है:–

तालिका–2

(धनराशि करोड़ रूपयें में)

कम0	मद	प्रस्तावित वार्षिक कटौती
1	पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन भुगतान	100.00
2	विद्युत मार्ग प्रकाश, जलकल, जल संस्थान, जल निगम व निकायों में स्थित पेय जल व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल/सी0डब्लू0आर0 के विद्युत देय।	1237.50
3	पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की कटौती	84.51
4	नगरीय प्रशिक्षण शोध केन्द्र की स्थापना	1.36
5	मेसर्स टोरेन्ट पावर कार्पोरेशन का बकाया।	24.00
6	मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज को नगर निगम आगरा में निर्मित 144 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख–रखाव हेतु।	15.00
	कुल कटौती	**1462.37**
	महायोग (तालिका–1 व तालिका–2 का योग)	**1922.37**

(रू0 उन्नीस अरब बाइस करोड़ सैंतीस लाख मात्र)

4. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) के मद में रोकी जा रही धनराशि से गठित राज्य स्तरीय निधि का उपयोग एस0टी0पी0 के दीर्घकालिक रख–रखाव, संचालन व प्रबंधन के मद में किया जायेगा उक्त धनराशि शासनादेश सं0–2319/नौ–5–2019–394सा0/2018, दिनांक–11.06.2019 के माध्यम से प्रदेश में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) व इससे संबंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख–रखाव, संचालन, प्रबंधन एवं विद्युत व्यय आदि हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गयी व्यवस्था के अनुसार व्यय की जायेगी।

5. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) के संचालन एवं रख–रखाव मद में भुगतान हेतु यदि धनराशि कम पड़ रही है, तो तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत डब्लू0टी0पी0 के संचालन एवं रख–रखाव मद, एनिमल बर्थ कण्ट्रोल योजना मद की उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर लिया जाय। इस उपयोग की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति संबंधित मद में राज्य वित्त आयोग की आगामी किश्तों की धनराशि से सुनिश्चित कर ली जाय। डब्लू0टी0पी0 एवं ए0बी0सी0 मद में आवश्यकता पड़ने पर इसी प्रकार धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों से उपलब्ध धनराशि से नगरीय निकाय निदेशालय के स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा। तदनुसार व्यावर्तित कर भुगतान/व्यय की धनराशि की सूचना शासन को तत्काल निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, अमृत/मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन/परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से)।
5. वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनुभाग–09/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–02/वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग–01।
6. गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।